उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)
Website: www.upptcl.org | E-mail:corporateaccounts@upptcl.org
CIN. NO. U40101UP2004SGC028687 | GSTIN: 09AAACU8823E1Z9
शक्ति भवन विस्तार 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 | Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001

पत्रांक – 16 /उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/मु0/लेखा/F- 190 दिनांक– 07.01.2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 1055/UPPTCL/DF/OSD/T5 दिनांक 31.08.2021 के अनुक्रम में दिनांक 01 जनवरी 2022 से Online BPMS Portal पर सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाईयों के सापेक्ष पूंजीगत कार्यो हेतु upload/प्राप्त बीजकों का भुगतान केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई द्वारा निम्नानुसार किये जायेगें:–

1. कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबन्धानुसार आपूर्तित सामग्री एवं सम्पादित कार्य के सापेक्ष बीजक भौतिक रूप में/बिल प्रोसेसिंग एवं मॉनीटरिंग पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।
2. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त बीजक की आपूर्ति/कार्य प्रगति का नियमानुसार मापन एवं उनके बैक विवरणों का सत्यापन करते हुए वैधानिक एवं अनुबन्ध सापेक्ष कटौतियों जैसे– जी0एस0टी0/इनकमटैक्स टी0डी0एस0/इनकमटैक्स टी0सी0एस0/लेबरसैस/रिटेन्शन इत्यादि का स्पष्ट अंकन कर भुगतान हेतु पारण एवं भुगतान आदेश (Pass & Pay Order) कर भुगतान दायित्व से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं वित्तीय सहलग्नता (linkage) सहित बीजक को सम्बद्ध प्रपत्रों के साथ बिल प्रोसेसिंग एवं मॉनीटरिंग पोर्टल के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (परिकल्पना एवं क्रय)/(765 के0वी0)/(जानपद) को प्रेषित किया जायेगा।
3. मुख्य अभियन्ता (परिकल्पना एवं क्रय)/(765 के0वी0)/(जानपद) द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाईयों से प्राप्त बीजकों को बीपीएमएस के माध्यम से अधिशासी निदेशक (वित्त) को प्रेषित किया जायेगा।
4. ROW से सम्बन्धित क्लेम जिनकी तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित पूर्ण सूचना जैसे–बैंक विवरण, GSTIN, PAN आदि की अनुपलब्धता होने से जिनका भुगतान केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवहारिक नहीं है, को केन्द्रीयकृत भुगतान व्यवस्था से मुक्त रखा जाना सुनिश्चत किया जायेगा।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान दायित्व का पारण एवं भुगतान आदेश करने के पश्चात् सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई द्वारा अग्रेतर स्क्रूटनी/सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी का पूर्णरूपेण यह उत्तरदायित्व होगा कि वह पारण एवं भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करे। किसी प्रकार की त्रुटि/गलती अथवा बीपीएमएस में गलत अपलोडिंग किये जाने की दशा में सम्बन्धित पारण एवं भुगतान आदेश करने वाले अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। बीपीएमएस पर वर्तमान में विभिन्न इकाइयों द्वारा एक ही Invoice को एक से अधिक बार भुगतान हेतु पारित कर अपलोड किया जा रहा है जिसके परिणास्वरूप यदि उक्त बीजक का एक से अधिक बार भुगतान हो जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई के आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
6. सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई बी0पी0एम0एस0 पोर्टल पर आपूर्तिकर्ता से सम्बन्धित समस्त सूचनायें यथा–नाम, बैंक विवरण, GSTIN, PAN वैधानिक कटौतियां (TDS, GST-TDS, TCS, Labor cess आदि), सिक्यूरिटी डिपॉजिट, परफार्मेन्स गारण्टी, ईएमडी इत्यादि अन्य कटौतियां, जो कि अनिवार्य रूप से पोर्टल पर उपलब्ध कराई जानी है, का सत्यापन एवं उनकी पोर्टल पर यथारूप उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगी तथा किसी भी त्रुटि के लिए पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगी।

7. भुगतान दायित्व के सम्बन्ध में सम्बन्धित वैधानिक अधिनियमों एवं अनुबन्ध के अन्तर्गत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कटौतियों में किसी भी प्रकार की कमी, गलत/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सूचना तथा कम अथवा अधिक कटौती किये जाने की दशा में सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई के पारण एवं भुगतान आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई केवल सम्बन्धित संस्था को सही भुगतान करने हेतु उत्तरदायी रहेगी। चिन्हित बैंक खातो से इतर यदि किसी अन्य बैंक खाते में धनराशि का अन्तरण होता है तो सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई उत्तरदायी रहेगी।
8. कार्य के सम्बन्ध में रनिंग/अन्तिम बीजक को सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई द्वारा भुगतान हेतु तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि यह सुनिश्चित न कर लिया जाये कि सम्पादित कार्य के विरूद्ध सामग्री के उपभोग का विवरण सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा बना लिया गया है और उसका सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करके मापनपुस्तिका में अभिलिखित कर दिया गया है। अवर अभियन्ता/मापन अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री उपभोग का विवरण जो मापन पुस्तिका में अभिलिखित किया गया है उसे स्टॉक अकाउन्ट में भी दर्शा दिया गया है।
9. भुगतान से सम्बन्धित दायित्वों का लेखांकन सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई के स्तर पर किया जायेगा।
10. सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई द्वारा बीपीएमएस से प्राप्त बीजको एवं संलग्नक प्रपत्रों को डाउनलोड किया जायेगा, जिसे प्रथम आगत प्रथम निर्गत (FIFO) आधार पर निदेशक (वित्त) से निधि अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जायेगा। निदेशक (वित्त) के अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई द्वारा वेण्डर को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
11. केन्द्रीकृत भुगतान व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाईयों द्वारा की गई वैधानिक कटौतियों यथा TDS, TCS, GST-TDS, Labor Cess इत्यादि से सम्बन्धित समस्त भुगतान केन्द्रीकृत आधार पर मुख्यालय भुगतान इकाई द्वारा अपने TAN एवं निगम के GSTIN एवं PAN के सापेक्ष संगत अधिनियमों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा।
12. संगत माह के अगले माह के प्रथम सप्ताह में सम्बन्धित निधि प्रबन्ध इकाई तथा मुख्यालय भुगतान इकाई सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाईयों के संगत अवशेषों को समस्त सूचनाओं सहित अन्तरइकाई सम्व्यवहारों (IUT) के माध्यम से उनके पक्ष में अन्तरित करेंगी।
13. मुख्यालय भुगतान इकाई द्वारा भुगतान किये गये वैधानिक दायित्वों यथा– TDS/GST/आयकर एवं अन्य, से सम्बन्धित विवरणियों का ससमय फाइलिंग मुख्यालय भुगतान इकाई के स्तर से ही सुनिश्चित की जायेगी। अग्रेतर, इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सांविधिक प्राधिकरण/अधिकारी से नोटिस/दण्ड आदि प्रकरण के निस्तारण हेतु यथावश्यक समस्त कार्यवाही तथा अनुश्रवण हेतु समस्त दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय इकाई के पारण एवं भुगतान अधिकारी के होंगे।
14. सभी प्रत्यक्ष प्राप्तियां, निविदा शुल्क, स्क्रेप बिक्री, ईएमडी/धरोहर राशि समस्त इकाईयों द्वारा दैनिक आधार पर वर्तमान में प्रचलित प्रथा के अनुसार दिन के अन्त तक वित्त अनुभाग को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे।

(पी० गुरू प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक – 16 /उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०/मु०/लेखा/F-190 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3. निदेशक (कार्मिक एवं प्रबंधन)/(आपरेशन)/(कार्य एवं परियोजना)/(वाणिज्य एवं नियोजन), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियंता, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि।
6. समस्त उपमहाप्रबंधक, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
7. कार्यालय ज्ञाप सं0–599/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/मु0/लेखा/F-165/300(T); दिनांक 22.06.2021 के माध्यम से चयनित पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटर।
8. कार्यालय ज्ञाप सं0–276/ESDC-II/Camp; दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से नामित समस्त नोडल अधिकारी।
9. कार्यालय ज्ञाप सं0–929 Tran.Sec-16B/PTCL-2020 दिनांक 22.09.2020 के माध्यम से नामित पोर्टल सपोर्ट टीम।
10. समस्त परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 को सूचनार्थ।
11. समस्त लेखाधिकारी, मुख्यालय, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(रंजन कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वित्त)